न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 17/273

1. खाना आत्मज लखमा जाति धाकड निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हरनाथ आत्मज लखमा जाति धाकड निवासी डोकून वयस्क ।
3. सत्यनारायण आत्मज खाना जाति धाकड निवासी डोकून ।
4. गिरजाशंकर आत्मज हरनाथ जाति धाकड निवीास डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी सभी वयस्क ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. किशना आत्मज रामधन जाति धाकड आयु 48 वर्ष जाति निवासी समीधी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक देई, जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री योगेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोड़ेन्ट क्रम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 327 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि का वादी ही खातेदार काबिज काश्त है और वादी ही उक्त भूमि का लगान अदा करता चला आ रहा है । प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से जबरन ताकत के बल पर वादी की भूमि पर कब्जा करने परं आमादा है जिसका उन्हें अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत एवं जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करें इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 वादग्रस्त आराजी में वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई

हस्तक्षेप नहीं करें तथा जबरन अनाधिकृत कब्जा नहीं करे, वादी की फसल को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णित कर दिया जबकि पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया था । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय पारित किया है । बिना साक्ष्य, बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है । कब्जे के अभाव में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री होने योग्य नहीं है । अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में लगान की रसीदें और खसरा गिरदावरी की प्रतियॉ पेश की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधि –विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं उनका स्थायी निषेधाज्ञा का दावा था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से डिक्री किया है । प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में आदेशिका दिनांक 12.05.2017 के अनुसार खाना, हरनाथ एंव सत्यनारायण प्रतिवादी के हस्ताक्षर कराये हैं परन्तु वादी अथवा प्रतिवादी क्रम 4 के उपस्थित होने अथवा नहीं होने के बार में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है । पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं

प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्षकारान उपस्थित होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करे इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति से 06 के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा